आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–25/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1) (A) के अंतर्गत
श्री दशरथ उरॉव एवं अन्य––विक्रेता
प्रति
श्री राकेश तिर्की––क्रेता

–:आदेश:–

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता 1. श्री दशरथ उरॉव, 2. श्री रामसागर उरॉव, 3. श्री मनोज उरॉव, 4. श्री प्रमोद उरॉव, चारो के पिता–स्व० जगनू उरॉव, ग्राम–कल्याणपुर, पोस्ट–कल्याणपुर, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री राकेश तिर्की, पिता–श्री शम्भु उरॉव, ग्राम–कल्याणपुर, पोस्ट–गढ़वा, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 137/दिनांक 25.03.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के दादा के नाम से मांग चलता है। विक्रेतागण जाति के उरॉव (अनुसूचित जन जाति) एवं क्रेता जाति के उरॉव (अनुसूचित जन जाति) के सदस्य हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना गढवा एवं जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि को विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा एवं सार्वजनिक उपयोग इत्यादि से मुक्त हैं प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के दखल–कब्जे में है

अतः उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर आवेदक/विक्रेता 1. श्री दशरथ उरॉव, 2. श्री रामसागर उरॉव, 3. श्री मनोज उरॉव, 4. श्री प्रमोद उरॉव, चारो के पिता–स्व० जगनू उरॉव, ग्राम–कल्याणपुर, पोस्ट–कल्याणपुर, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा ने क्रेता श्री राकेश तिर्की, पिता–श्री शम्भु उरॉव, ग्राम–कल्याणपुर, पोस्ट–गढ़वा, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(A) के अंतर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

–:भूमि का विवरण:–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
कल्याणपुर	230	28	1710	0.09¼	उ०–जग्रनाथ उरॉव, द०–जनार्दन उरॉव, पू०–पक्की सड़क, प०–बच्चन उरॉव,
		28	1710	$0.07\frac{3}{4}$	उ०–सरोज अंसारी, द०–महेश उरॉव, पू०–जग्रनाथ उरॉव, प०–जग्रनाथ उरॉव,
		कुल रकबा:–		0.17	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 3/1/22
अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।

(हस्ताक्षर) 3/1/22
अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा।

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2023.02.01 13:04:25 +05:30
Location: 192.168.245.160

Scanned with CamScanner